

5 CMS  
2020/00045  
08/02/2021

जज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम




श्री... जै. बा. राम .....

हलका... भूका वडावाडि .....

पुत्र श्री अचलाराम जाति प्रकाश

निवासी- भूका वडावाडि .....

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 42 वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
23-12-2020	<p>पटवारी हलका <u>भूका वडावाडि</u> ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2020 में मौजा <u>भूका वडावाडि</u> के खसरा नंबर 22/3 रकबा 1200 वर्ग फीट किस्म भूमि <u>उ. म. उ. ग. य. र.</u> पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक <u>11-1-2021</u> को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।</p> <p style="text-align: center;"><b>तहसीलदार सिणधरी</b> <b>जिला-बाड़मेर</b></p>	 <p style="text-align: right;"><u>रखमो डेवी</u> W/O उपायुक्त</p>
11-01-2021	<p>पत्रावली पेश हुई और साफल की पाली रखमो डेवी उपायुक्त। पीनलीन अधिकारी बाणकीश कार्ष. हेतु जोसपुर पटवारी पत्रावली दिनांक 18-01-2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>11-1-2021</u></p>	 <p style="text-align: right;"><u>रखमो डेवी</u> W/O उपायुक्त</p>
18-01-2021	<p>पत्रावली पेश हुई। और साफल उपायुक्त। और साफल ने जवाब हेतु साफल चाहा को दिनांक 27-01-2021 को पत्रावली दिनांक 27-01-2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><b>तहसीलदार सिणधरी</b> <b>जिला-बाड़मेर</b></p>	 <p style="text-align: right;"><u>रखमो डेवी</u> W/O उपायुक्त</p>

27-1-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल की तरफ से उनके ककील ने उपाध्यायों को जवाब देते हुए सायल याद जो दिनांक लाकर पत्रावली दिनांक 10-2-21 को पेश है।

तहसीलदार सिंगधरी  
जिला-वाड़मेर

10-2-2021

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी भाऊ उमुटी पर सिवाना पंचायत से पत्रावली दिनांक 17-2-21 को पेश है।

17-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। 10-2-2021 गैर सायल को जवाब देते महिम भवसर दिनांक लाकर पत्रावली दिनांक 22-2-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिंगधरी  
जिला-वाड़मेर

22-02-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल को जवाब देते बार-बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कोई विधि संमत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। गैर सायल को अतिक्रमी मानते हुए पत्रावली केसल सुमार है। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली केसल सुमार होकर दफ्तर दाखिल है।

तहसीलदार सिंगधरी  
जिला-वाड़मेर